(6)

Attachement 1.6 (A)

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
District Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Sri/Smt. Swati. S. Bhadoriya deputy commissioner, on dated ..16/06/2020 at time ...3:40 P.M....at Chamoli in which application claiming rights in Nani, Kimoli, Boonga area measuring 4.346 hect for the Construction of Narayanbagar-Kimoli Motor Road Km. 8 to Nani Malli, Musaudiyar-Boonga Motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Narayanbagar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;. Gopeshwar
Dated:..16/06/2020

जिला अधिकारी
(...................................)
चमोली
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

(5)

Attachement 1.6

FORM-I

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector, Chamoli

No--- Dated-16/06/2020

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 4.346 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department for Construction of Narayanbagar-Kimoli Motor Road Km. 8 to Nani Malli, Musaudiyar-Boonga Motor Road in Chamoli district falls within jurisdiction of Nani, Kimoli, Boonga village (s) in Narayanbagar tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 4.346 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....to .....annexure....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(......जिला अधिकारी......)
चमोली

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)

Attachement 1.6 (B)

परियोजना का नाम :– नारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.394 हे0 आरक्षित, 0.952 हे0 सिविल, कुल 4.346 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नारायणबगड़

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, ...तहसील थराली

उपखण्ड ...तहसील थराली... परिक्षेत्र के अन्तर्गत 4.346 हे0 (3.394 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.952 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 4.346 हे0 वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नारायणबगड़) की दिनांक ...06-09-19... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...किशन सिंह नेगी..., उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ...किशन सिंह नेगी...उपजिलाधिकारी ——————अध्यक्ष

2– श्री ...अमरेश कुमार...उप प्रभागीय वनाधिकारी——————सदस्य

3– श्री ...विपिन रावत...सहायक समाज कल्याण अधिकारी—सदस्य सचिव

4– श्री ...इन्द्र सिंह विष्ट...बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————सदस्य

5– श्री ...मदन सिंह पटाकी...बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————सदस्य

6– श्री ....बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————सदस्य

(हस्ताक्षर/मुहर: उप जिला अधिकारी थराली (चमोली); सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड थराली जिला–चमोली; सदस्य क्षेत्र पंचायत डुंग्री विo खo नारायणबगड़; सदस्य जनपद–चमोली; क्षेत्र पंचायत कलाली विo खo देवाल जिला चमोली)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया किनारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग के परियोजना हेतु 4.346 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड तहसील थराली........परिक्षेत्र के अन्तर्गत नारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.346 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – नारायणबगड़
जनपद – चमोली

उप जिलाधिकारी
थराली (चमोली)

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील – नारायणबगड़
जनपद – चमोली

उप जिलाधिकारी
थराली (चमोली)

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :– नारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3:394 हे0 आरक्षित, ... 0:952 हे0 सिविल, कुल 4:346 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – नैणी –

तहसील – , जनपद – चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत नारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग हेतु (3:394 हे0 आरक्षित, 0:952 हे0 सिविल, भूमि) अर्थात कुल 4:346 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ....नैणी........ द्वारा दिनांक 18/08/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ......नैणी...... के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत नैणी
रजनी देवी
नारायणबगड़ (चमोली)

दिनांक 18/08/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नैनी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मुकेश नैनवाल	[illegible]
2	अनिल प्रसाद	अनिलप्रसाद
3	विजय प्रसाद	[illegible]
4	रमेश चन्द्र	[illegible]
5	राजभूषण नैनवाल	[illegible]
6	कलावती व कलपेश्वरी देवी	कल्पेश्वरी देवी
7	श्री राम चन्द्र नैनवाल	रामचन्द्र
8	श्री बच्ची राम	[illegible]
9	" विनोद नैनवाल	[illegible]
10	अनिल प्रसाद	दमयन्ती देवी
11	आशीष कुमार	सावित्री देवी
12	गोपाल दत्त	गोपाल दत्त

ह0/- रजनी देवी
ग्राम प्रधान,

ग्राम पंचायत

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :– नारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.394 हे0 आरक्षित, 0.952 हे0 सिविल, कुल 4.346 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – किमोली

तहसील – , जनपद – चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत नारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग हेतु (3.394 हे0 आरक्षित, 0.952 हे0 सिविल, भूमि) अर्थात कुल 4.346 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत किमोली द्वारा दिनांक 18/08/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम किमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

अनिल प्रसाद

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

ह0 लीला देवी

गोपाल दत्त

दिनांक 18/08/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत किमोली

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मुकेश नैनवाल	[illegible]
2	अनित प्रसाद	अनित प्रसाद
3	विजय प्रसाद	[illegible]
4	रमेश चन्द्र	[illegible]
5	राजभूषण नैनवाल	[illegible]
6	कल्पेश्वरी देवी	कल्पेश्वरी देवी
6	रामचन्द्र नैनवाल	रामचन्द्र
7	श्री [illegible]	[illegible]
8	,, विनोद नैनवाल	Binod
9	रणजीत सिंह	रणजीत
10	शेर सिंह	शेरसिंह
11	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह
12	अंकित प्रसाद	[illegible] देवी
13	आशीष कुमार	सावित्री देवी (माता)
14	गोपाल दत्त	गोपाल दत्त

ह0/-

ग्राम प्रधान

Attachement 1.6 (C)

परियोजना का नाम :– नारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3:394 हे0 आरक्षित, 0:952 हे0 सिविल, कुल 4:346 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – बूंगा

तहसील – , जनपद – चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद के अन्तर्गत नारायणबगड़–किमोली मोटर मार्ग के किमी0 8 से नैणी मल्ली, मुसाउड्यार–बूंगा मोटर मार्ग हेतु (3:394 हे0 आरक्षित, 0:952 हे0 सिविल, भूमि) अर्थात कुल 4:346 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बूंगा द्वारा दिनांक 18/08/2018 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बूंगा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

Mohanlal
रतीलाल रतीलाल
मदनलाल मदनलाल
वीरेन्द्र कुमार
शिशुपाल कुमार
आशा देवी
बख्तावरलाल
कालीलाल
टिल्लूलाल
पंचमूलाल
प्यारीलाल

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत बूंगा
हस्ताक्षर
दिनांक
नारायणबगड़ (चमोली)

दिनांक 18/08/2018 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बुगा

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	लूती लाल	लूती लाल
2	मदन लाल	मदन लाल
3	बीरेन्द्र कुमार	[illegible]
4	बकतवारी लाल	बकतवारीलाल
5	बिन्दु लाल	Billulal
6	ब्रजलाल	[illegible]
7	कलमू लाल	कलमू लाल
8	शिशुपाल कुमार	शिशुपाल कुमार
9	उ० प्रधान नरेश लाल	[illegible]
10	रमेश लाल	R-lal
11	मोहन लाल	Mohan Lal
12	श्याम लाल	Shyam Lal
13	नरेश कुमार	नरेश कुमार
14	प्रदीप कुमार	Pradeep Kumar
15	मोहन लाल	M Lal

ह० /-

ग्राम प्रधान

(Stamp: प्रधान ग्राम पंचायत ... हस्ताक्षर ... दिनांक ...)